



मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय,
CMS Office,
मंडल रेल अस्पताल, राजकोट।
Divisional Railway Hospital, Rajkot.

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

नं. एमडी / १७३ / १ / डीआरएम / राजकोट / २०२४-२५/०१

दिनांक :- ११ नवम्बर २०२४

कार्यालय का पता: मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मंडल अस्पताल पश्चिम रेलवे, कोठी परिसर जामनगर रोड, राजकोट-
३६०००१।

निविदा संख्या, एमडी / १७३ / १ / डीआरएम / राजकोट / २०२४-२५/०१

कार्य का नाम : राजकोट मंडल और पश्चिम रेलवे के अन्य मंडलों के सेवानिवृत्त और सेवारत रेलवे कर्मचारियों और लाभार्थियों के लिये कम से कम पचास बेडवाले निजी अस्पतालों/चिकित्सा संस्थानों का नया गठजोड़। मंडल रेलवे अस्पताल, राजकोट में। यह मंडल रेलवे अस्पताल, राजकोट के संबंधित रेलवे चिकित्सा प्राधिकरण से नियमित रेफरल हेतु एवं जांच/परीक्षण निम्नलिखित स्थानों पर किए जाने की आवश्यकता है।

- राजकोट एवं जामनगर में मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल।
- राजकोट में ईएनटी अस्पताल।
- राजकोट में प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ अस्पताल।

सभी अस्पतालों द्वारा इलाज के लिए शुल्क एनएबीएच/गैर-एनएबीएच के लिए सीजीएचएस दर (अहमदाबाद २०१४ दर सूची में दर्शाई गई प्रक्रियाओं के लिए या कम दरों/कम प्रतिस्पर्धी) के बराबर या उससे कम होगा। इच्छुक निजी अस्पताल प्रक्रियाओं/जांच सूची के लिए अपना दर प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

निजी अस्पतालों को रेलवे के मरीजों के लिए आवश्यक जांच/प्रक्रिया करनी होगी। ऐसी जांच/प्रक्रियाओं की सूची एक सप्ताह के बाद रेलवे अस्पताल, राजकोट से प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक निजी अस्पताल निर्धारित प्रोफार्मा में अपनी दरें प्रस्तुत कर सकते हैं (मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मंडल अस्पताल, पश्चिम रेलवे, कोठी कंपाउंड जामनगर रोड, राजकोट - ३६०००१) से एकत्र किए जा सकते हैं, और **०२ दिसम्बर २०२४ से पहले सीलबंद लिफाफे में वापस जमा कर सकते हैं।**

अनुबंध की अवधि: **तीन साल।**

उपरोक्त कार्य में रुचि रखने वाले निजी प्रयोगशालाएं / संस्थान अस्पताल / लिनन ठेकेदार तुरंत सीएमएस कार्यालय, मंडल रेलवे अस्पताल, कोठी कंपाउंड, राजकोट को इच्छा पत्र भेजें। प्राधिकृत रेलवे चिकित्सा अधिकारी इन निजी संस्थानों/अस्पतालों/प्रयोगशालाओं का उनके बुनियादी ढांचे/जनशक्ति/प्रदान की गई गुणवत्ता आदि की जांच के लिए निरीक्षण करेंगे।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या २०१६/एच/१/११/६९ अस्पताल मान्यता दिनांक २३-१२-२०१६ के अनुसार चयनित निजी अस्पताल और रेलवे के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा।

चयनित अस्पताल/संस्थान को प्रदर्शन गारंटी (पीजी) २ लाख की राशि रेलवे के साथ ३९ महीने के लिए जमा करनी होगी।

अप
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
राजकोट
Chief Medical Superintendent
पश्चिम रेलवे, राजकोट.
Western Railway, Rajkot.



मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय,
CMS Office,
मंडल रेल अस्पताल, राजकोट।
Divisional Railway Hospital, Rajkot.

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

No MD/173 /1/DRM/RJT/2024-25/01 Date: 11 Nov 2024.

Address of the Office: Chief Medical Superintendent Divisional Hospital Western railway,
Kothi compound Jamnagar Road, Rajkot-360001.

Tender No. MD/173/1/DRM/RJT/2024-25/01

Name of work: Fresh empanelment of private hospitals(s) with Railways equipped with minimum 50 beds for treatment of railway patients and beneficiaries of Rajkot division and other divisions of Western Railway. If any, this tie-up will be for regular referrals of both serving and retired railway patients at following locations-

- i. Multispecialty hospital in Rajkot and Jamnagar.
- ii. ENT Hospital in Rajkot.
- iii. Obstetrics and Gynecological hospital in Rajkot.

Charges for treatment by all hospitals will be the at par or below as per CGHS rates (for procedures shown in Ahmadabad 2014 rate list or at lower rates/low competitive) for NABH/Non-NABH. Interested private hospital(s) will submit their rates offer for procedures/investigation list.


Private Hospitals will have to carry out investigations/procedures required for railway patients. List of such Investigation/Procedures may be obtained from railway Hospital, Rajkot after one week. Interested Private Hospital may furnish their rates in prescribed Performa (may be collected from Chief Medical Superintendent Divisional Hospital, Western Railway, Kothi Compound Jamnagar Road, Rajkot-360001), and **submit back in sealed cover before 2 Dec 2024.**

Term of contract: **Three Years.**

Private hospital(s) interested in above work will submit their willingness letter immediately for inspection of their hospital by railway authorized representatives.

Memorandum of Understanding (MoU) will be made between the selected private hospital and railways as per Railway Board's letter No.2016/H/1/11/69 Hospital recognition dt.23/12/2016.

The selected hospital / institute will have to deposit amount of Rs. 2 lakhs Performance Guarantee (PG) for 39 months with railways.


ACMS-RJT
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
Chief Medical Superintendent
पश्चिम रेलवे, राजकोट.
Western Railway, RAJKOT